

2-955

(H)

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 71,73,800.00 रुपये।

स्टाम्प पेपर - प्रस्तुत भूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन में कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-893/ ग्यारह-2010-500-(83)-2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था के अनुसार संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कन्सर्शियम क्रेता स्टैम्प ड्यूटी से छूट के लिये पात्र है।

मैं कि श्री अमरपाल पुत्र श्री सरदार सिंह निवासी ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अखिल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्नादत्त पाठक 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

Amarpal

Mr. Upul Chadda Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.
Authorized Signatory



7123/2011 100000

20 100201 600

अमरपाल

सदर पत्र

लेखा

शुद्ध दुर्लभता पर लक्ष्य

को

बुद्ध

12/1/11

11:00 बजे

Amerpal 12/1/11

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे

जरेबदल मु० 7123/2011 100000

जिसमें से

मेरे सम्बन्ध पाकर उक्त श्री अमरपाल को वापस दे

लाने के लिये अमरपाल को दे दिया

आदि 33 कांस्टीबल केन्द्रों पर वापस दिये

द्वारा प्रेषण पाकर 5/1 को अमरपाल को वापस 33 कांस्टीबल

केन्द्रों पर वापस दिये दिये जाने के लिये



विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 299 के खसरा नं० 194 रकबा 0.9300 हैक्टे० व खसरा नं० 212 रकबा 0.8110 हैक्टे० इस प्रकारकुल रकबा 1.7410 है० का 1/3 भाग 0.580333 है० में से 0.500 है० का प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409 1414 फसली जिराका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिघर कागजात दर्ज है, का बैनागा छाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिघरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 85,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौरा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/- रु० प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 71,73,600/- रुपये (इकहत्तर लाख तेहत्तर हजार छः सौ रुपये मात्र) में तय है

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में रतम्भ अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड, रहन, वय, हिबै, गहायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि में गिरा नहीं



Amal Chandra

for Usual Chances
Amal Chandra
 Authorised Signatory

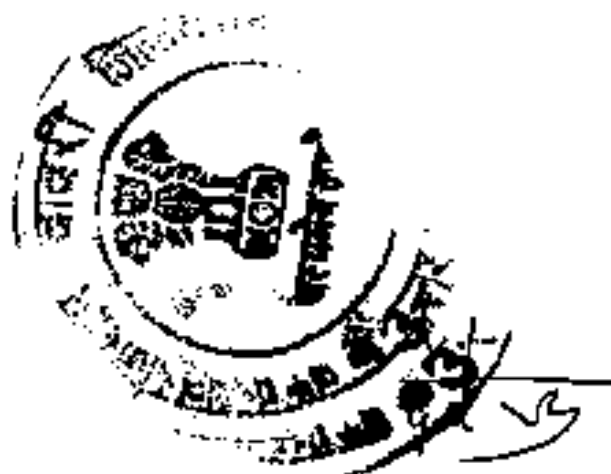


श्री ~~जयसिंह~~ ~~पेता~~ ~~जेली~~
 श्री ~~राज~~ ~~वास~~ ~~वासी~~ ~~तह~~ ~~दाजी~~
 श्री ~~देव~~ ~~दाजी~~ ~~से~~ ~~जेली~~
 श्री ~~राज~~ ~~वास~~ ~~वासी~~ ~~तह~~ ~~दाजी~~
 देवी

सब रजिस्टार दायी
 17/11

Handwritten signature

Amarul



Handwritten signature

सासी भले प्रतीत होते हैं किन्तु
 अंगुठा निम्नानुसार लिखे गये है

17/11
 जालंधर, पंजाब

(3)

है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद प्रस्तुत मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लंबित है। और न ही किसी निष्पीत आदेश का क्रियान्वन ही लंबित है।

(6) विक्रीत मिलिक्यत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्ण में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फंरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाला नं० 289 के खसरा नं० 194 रकबा 0.8300 हैक्टे० व खसरा नं० 212 रकबा 0.8110 हैक्टे० इस प्रकारकुल रकबा 1.7410 है० का 1/3 भाग 0.580333 है० मे से 0.500 है० स्थित ग्राम भुरियाई परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को गारंटे तरकी काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समिति से अन्य समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली खारिजी, काश्त भराई, हर किसम कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय घनराशी अंकन 71,73,800/- रुपये (इकहत्तर लाख तिहत्तर हजार छः सौ रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 35,86,800/- (पैंतीस लाख छियासी हजार आठ सौ रुपये मात्र) होते है के एवज में ब्रह्मथ फरीक दीयम क्रेता उपरोक्त गैसर्स उप्पल चब्दा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्स कालोनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा

Amrit



Ujjal Chandra H. Ch. Developers Pvt. Ltd.
Authorised Signature



(4)

श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्स कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बंध कर दिया है यानि कसई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवावेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते हैं, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की भित्तकियत भूमि में निहित हिा व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कमी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।




for Umesh Chandra Hitech Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory



(5)

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.500 हैक्टेयर, खाता नं० 299 के खसरा नं० 194, 212 स्थित ग्राम दुनियाई परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निम्नलिखित विवरण के अनुसार विक्रय मनराशी प्राप्त कर ली है:-

(15) बैंक ऐक्सास बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का बैंक नंबर 261699 अंकन 71,73,800/- रुपये (इकहत्तर लाख तिहत्तर हजार छः सौ रुपये मात्र) दिनांकित 17.01.11 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

Am. 17.01.11

Am. 17.01.11
Am. 17.01.11

(हस्ताक्षर/निशानी)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं० 1

मेहराज सिंह (मेहराज सिंह)
मेहराज सिंह (मेहराज सिंह)

गवाह नं० 2

मेहराज सिंह (मेहराज सिंह)
मेहराज सिंह (मेहराज सिंह)

तहसीली दिनांक 17.01.2011 मसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद



17/1/11

125
134

3/2-9
955

निवश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 948956

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक स्थान गाजियाबाद में श्री उमेश कुमार
 पुत्र/पति गारदा सिंह
 निवासी ग्राम परगना तहसील
 जिला

प्रथम पक्ष

एवं

भै० उप्पल चढड़ा हाईटैक डवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33 कम्युनिटी
 सेंटर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा पुत्र.....

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम कुशीमठ परगना व तहसील
 जिला में स्थित भूमि खाता सं० खसरा सं०
 कुल रकबा हैक्टर (अपने सम्पूर्ण भाग) का
 सक्रमणीय भूमिधर मालिक, कानिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम
 दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सोदार नहीं
 है। उक्त भूमि पर अतिगाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या
 कोई केस नहीं चल रहा है।

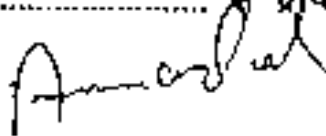
A. K. Singh

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के वर्ज सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं० 1 के पुस्तक सं० पृष्ठ पर क्रम सं० पर दर्ज है।

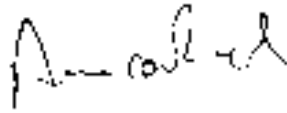
प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु०/- द्वारा बैंक नं दिनांक बैंक द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लॉट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि दोनों पक्षों को मान्य है।
2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।
3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नहीं रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।
4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष के होंगे। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु. द्वारा बैंक सं० दिनांक बैंक से प्राप्त कर लिये है।



5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरूप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।



प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह:

1.

2.